न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट नं०-3, हरदोई।

सी०ए०-49/2004

बालकराम .... बनाम .... कृष्णचन्द्र पाण्डेय

दिनांकः 13-01-2023

पत्रावली पेश हुयी। अपीलार्थी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नही। प्रार्थी को प्रार्थनापत्र 106 क/1 पर सुना।

106 क/1 प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान अपील अपीलार्थी बालकराम की मृत्यु हो गयी। उनके विधिक प्रतिनिधियों को स्थानापन्न करने तथा उपशमन को समाप्त करने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पृथक से दिया गया है।

प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी बालकराम के विधिक वारिसान को आदेश दिनांक 8-9-2011 से प्रतिस्थापित किया जा चुका है। पुनः उसी आशय के प्रार्थनापत्र पर आदेश पारित किये जाने का कोई औचित्य नही है। प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार प्रार्थनापत्र 106 क/1 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः13-01-23

(सपना त्रिपाठी-I)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, हरदोई।

दिनांकः 13-01-2023

अपीलार्थी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नही। प्रार्थी को प्रार्थनापत्र 107 क/1 पर सुना।

अपीलार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र 107 क/1 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत करके कहा गया है कि विपक्षी कृष्णचन्द पाण्डेय की मृत्यु हो चुकी है, उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित किया जाये। प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है तथा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र पृथक रूप से दिया गया है।

न्यायालय के विचार से 107 क/1 प्रार्थनापत्र पर सुनवाई से पूर्व मृतक कृष्णचन्द्र पाण्डेय के विधिक वारिसान के लिए अपीलार्थी उभयप्रकार से पैरवी अन्दर तीन दिन करे। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 02-02-2023 को पेश हो।

दिनांकः13-01-23

(सपना त्रिपाठी-I)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, हरदोई।

Digitally signed by SAPNA TRIPATHI
Date: 2023.01.16 17:28:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court